्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 4 / 19 तारीखरजूः– 9-1-19

उनवानः– कपूर आदि बनाम हरिचरण वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क्र	फर्द अहकाम	
1	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 05.02.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1231 / 0.01, 1232 / 0.01, 1233 / 0.11, 1234 / 0.04, 1235 / 0.07 कुल किता 5 रकबा 0.24 हे0 ग्राम आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी तिथि तक कब्जे काश्त मे दखल न करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित / वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05.02.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	178-80 10-1-19

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला कर

दिनांक	फर्द अहकाम
5-2-19 हरिचरण। मीना। नवजीत रंगजीत	प्रार्थी वकील उपस्थित / प्रति पार्टी नं० 1 अनुपस्थित 3 उपस्थित / पी० साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। वास्ते आग्रीम आदेश दिनांक 12-3-19 को पेश हो।
12-3-19	प्रार्थी वकील उप०/ अप्रार्थी उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस दिनांक 15-4-19 को पेश हो।
15-4-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य से करौली पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 27-5-19 को पेश हो।
27-5-19	प्रार्थी वकील उप०/ बहस हेतु समय दिया जावे। समय दिया गया/ वास्ते बहस दिनांक 17-6-19 को पेश हो।
17-6-19	वादी वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का कथन कर दिनांक 9-1-19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म करने का कथन किया। बहस पर गहनता से मनन कर पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। दिनांक 9-1-19 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किया जाना न्यायोचित है अतः गैरसायलान को दावा के फैसला होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

जाता है कि ग्राम आरखाबाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1231/0.01, 1232/0.01, 1233/0.11, 1234/0.04 1335/0.07 कुल किता 5 कुल रकबा 0.24 हे० में वादीगण के काब्जे काश्त में किसी प्रकार से व्यवधान नही० करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.6.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दुर्गाप्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner